न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प गुढा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः—3/2017   दायर तारीख 06.01.2017

1. रमेशचन्द्र पिता श्रीनारायण जाति बंजारा उम्र 41 साल निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. इन्द्रसिंह पिता श्रीनारायण जाति बंजारा उम्र 38 साल निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

..............वादीगण

बनाम

1. गोरु पिता स्वरुपा जाति बंजारा उम्र 65 साल निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. गोरु पिता मांगू जाति बंजारा उम्र 30 साल निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
मोहनलाल जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः—   दिनांक 25.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आटी प0ह0 गुढा तह0 बिजौलियां की सरहद में वादीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आ0नं0 486/1 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादीगण के पिता नारायण जी बंजारा को आवंटन हुई थी और उनकी मृत्यू बाद वादीगण के कब्जे व अधिकार में आई। वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण ने अपनी उक्त आराजीयात में से कोई रकबा किसी को विक्रय हस्तान्तरण नही किया है तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक व स्वामितव निहित नही है। सन् 2011 के जून माह में प्रतिवादीगण ने भवाना पिता लखा बंजारा अन्य बलाई जाति के व्यक्ति की जमीन मेरी इस जमीन के पास स्थित को खरीदकर उस पर कब्जा प्राप्त किया तब प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त आराजी में से 1 बीघा 6 बिस्वा व प्रतिवादी नं0 2 ने 7 बिस्वा कुल 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर अपनी खरीदसुदा आराजी में मिला लिया। जमीन 2011 में वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस कृत्य का आलोहना देते हुये अपना नाजायज कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने आशवासन दिया कि वे जमीन नपवाकर कब्जा छोड देंगे किन्तु वादीगण के बार बार तकाजा करने के उपरान्त भी उन्होंने न तो जमीन नपवाई न ही कब्जा छोडा जिस पर हम वादीगण ने दिनांक 05.11.2016 को अपनी आराजीयात की पतथरगढी करवाकर जमीन की सीमादेही करवाई जिससे यह तथ्य प्रकट व सन्तुष्ट हुआ कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की 1 बीघा 13 बिस्वा जमीन पर जबरन अधिकार कब्जा कर रखा है और निवेदन करने पर भी नही हटा रहे है। प्रतिवादीगण को विवादीत आराजीयात में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर रखने का कोई अधिकार प्राप्त नही है और प्रतिवादीगण नाजायज लाभ प्राप्त कर वादीगण को उनके हक अधिकारों से वचित रख रखा है। वादीगण को कब्जा नही लोटा रहे है। इस बाबत दिनांक 05.11.2016 से लगातार तकाजा करने पर भी प्रतिवादीगण

करने के अधिकारी वादीगण है। वादीगण का वाद हेतु माह जून 2011 व पत्थरगढी दिनांक 05.11.2016 से उत्पन्न होकर सतत रुप से जारी है। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि कब्जेयाबी की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि मौजा आटी प0ह0 गुए तह0 बिजौलियां में स्थित आ0नं0 486/1 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादीगण नं0 1 को 1 बीघा 6 बिस्वा व प्रतिवादी नं0 2 को 7 बिस्वा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सिपूर्द कराये जाने कि डिक्री सादीर फरमाई जावे। कब्जे प्राप्ति तक दिनांक जून 2011 से मुआवजा राशि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। वाद के तथ्यों और विधी अनुसार अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो मय हर्जा खर्चा दावा दिलाये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावे। वादपत्र डिक्री फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से वकील श्री मोहनलाल जोशी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही होने से जवाब बंद किया गया।

प्रतिवादी का जवाब नही देने के कारण तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं के बयान के करवाये गये ।

साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 1 रमेश चन्द्र पिता नारायण बंजारा निवासी चम्पापुर के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मेरी भूमि ग्राम आंटी में 7 बीघा 14 बिस्वा स्थित है यह भूमि हमारी पुश्तैनी है। इस भूमि पर हम काबिल होकर काश्त करते आ रहे है। इस भूमि को हमने किसी को गिरवी या विक्रय नही किया है। मेरी जमीन के पडोसी पतिवादीगण है जिन्होने प्रतिवादी संख्या 1 ने 1 बीघा 6 बिस्वा पर व प्रतिवादी संख्या 2 ने 7 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि उक्त भूमि से इनका कोई सबंध वास्ता ही नही है। प्रतिवादीगण मौके पर विवाद करने लग गये। मेने पत्थरगढी करवाई लेकिन प्रतिवादीगणों ने कब्जा नही छोडा, मेने मेरे खाते की नकल पेश की है जो प्रदेश 1 है। मेने पत्थरगढी का मौका पर्चा पेश किया है जो प्रदेश 2 है। मुझे मेरी जमीन का कब्जा दिलाया जावे। जिरह मे लिखवाया कि मे रमेश और मेरा सगा भाई इन्द्रजीत है। हमने विवादीत भूमि पर मौके पर आपस में बटवाडा कर रखा है। जिसके चार दिवारी सुखे पत्थर से कर रखी है। उक्त चार दिवारी करीब 15–20 वर्ष पूर्व से ही कर रखी है। चार दिवारी के अन्दर हम 4–5 वर्ष से हम फसल बो रहे है तथा हमारा ही कब्जा है दूसरे किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नही है। विवादीत भूमि के पूर्व में गौरु बंजारा का खेत है तथा पश्चिम की तरफ खाली पडत जमीन है। उतर की और रेगर की जमीन है जो पन्नालाल बंजारा ने क्रय कर रखी है तथा दक्षिण में भवाना बंजारा की जमीन थी जिसको गोरु बंजारा ने क्रय कर ली है। गौरु बंजारा के पूर्व व दक्षिण की तरफ दोनो के बीच कब्जे पत्थरो की दिवार है जो 5–7 वर्ष पुरानी है। पत्थरगढी के वक्त कोर्ट से गौरु को नोटिस भेजे गये थे। गौरु का लडका कालू पत्थरगढी के वक्त मौके पर मौजूद था जिसके मौके पर्चे पर हस्ताक्षर है। गौरु पिता स्वरुपा मौके पर मौजूद था। गौरु पिता मांगू मौके पर मौजूद नही था। पत्थरगढी करने लगे की चला गया। यह बात सही है कि दोनो गौरु के ईएक्सपी–2 मौके पर्चे पर हसताक्षर नही है। यह बात गलत है कि उन्होने मेरी जमीन पर कब्जा नही कर रखा हो जबकि कर

इसके अलावा वादी ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्ल्यू 1 में गौरु पिता मांगू बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मुझे प्रतिवादी नं0 2 का वाद में भूमि पर 20 से कब्जा है पत्थरगढीकराई तब मेरे को सूचना नही दी है। मौके पर भी नही बूलाया है। मौका पर्चा पर मेरे हस्ताक्षर नही है। रमेश व मेरे बीच में कोई वाद विवाद नही है। यह कब्जा सुदा जमीन मेरे नाम की है। इस वादग्रस्त भूमि पर पर निरन्तर पुराना कब्जा चला आ रहा है। वादी रमेश की जमीन पर कब्जा नही कर रखा है। जिरह में लिखवाया कि वादग्रस्त के आराजीयात के कब्जेसंबंधित पत्र साक्ष्य वगै0 इस दावा में पेश नही किया है। यह जमीन बलाई से क्रय की है। बलाई का नाम मोडा पिता उदा निवासी उम्मेदपुरा है। यह जमीन 2–10 बीघा क्रय की है जिस पर मेरा ही कबजा काश्त है। वादग्रसत जमीन का नं0 याद नही है। जो बलाई से भूमि क्रय की उस जमीन के नं0 भी याद नही है। बलाई से मेने डेढ लाख प्रतिबीघा के हिसाब से रुपये दिये थे। समसत राशि मेने मोडा पिता उदा बलाई को देदी है। बलाई ने जमीन क्रय की उसकी लिखा पढी बलाई के नाम से ही मेरे नाम से नही है। जमीन पर कब्जा काश्त मेरा ही है। वादी की जमीन से मेरी जमीन पूर्व दिशा में है।, दोनो की जमीन के बीच में गौरु पिता स्वरुपा बंजारा का खेत हैं वादी ने वादग्रस्त जमीन मुझे नही बेची है। मेरे रहन भी नही रखी है। रमेश वादी की जमीन से मेरे कोई लेना देना नही है।

इसके अलावा साक्ष्य प्रतिवादी ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में दिनांक 24.04.2018 को उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्तागण पर मनन किया ।

वादीगण ग्राम आंटी प0ह0 गुढा सम्वत् 2070 से 2073 के जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार है प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी दिनांक 05.11.2016 को की गयी। पत्थरगढी के दौरान यह तथ्य आया कि प्रश्नगत भूमि पर पत्थरगढी के मौके पर्चे से प्रतिवादी गौरु पिता मांगू, गौरु पिता स्वरुपा बंजारा निवासी चम्पापुर का कब्जा वादी की भूमि पर है जो अवैध है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है तथा कब्जा पुनः रिकार्डेड खातेदार को दिये जाने के आदेश तहसीलदार बिजौलियां को दिये जाते है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम आंटी प0ह0 गुढा की आराजी नं0 486/1 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर से गौरु पिता स्वरुपा, 7 बिस्वा भूमि पर से गौरु पिता मांगू जाति बंजारा निवासी चम्पापुर को बेदखल किया जाकर, कब्जा हटवाया जाकर भूमि वादीगण को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम गुढा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

25/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प गुढा)